

प्रमुख सं. [क. 998]
कार्यालय प्रमुख, जिला-राजगढ़, धारा 50 प्रो. 2000

आ. दे. नं.
2000/2000

क्रमांक/ 2000, सचिव, मओप्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भेदन आयोग प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रं० ए-1-1/वे.आ.प्र.८/९९, दि० 19.4.९९ में दि० निर्देशानुसार -
श्री स.एन.शर्मा, - - - - - पद कार्यान्वयन-ग्रेड-11 कार्यालय [गाना]
कलेक्ट्रेट राजगढ़/कार्यान्वयन-ग्रेड-11 के पद पर दि० 25-11-९९ से कार्यरत हैं। इन्हें दिनांक 25-11-९९ को कार्यान्वयन-ग्रेड-11 के पद पर 12 वर्ष पूर्ण हो जाने से एवं उक्त ज्ञापन की कंडिका 28 गं - अनुसार उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप इन्हें, क्मोन्नति की पात्रता आती है।

2- सचिव, मओ प्रो शासन सामान्य प्रशासन विभाग वे.आ.प्र.८ मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रं० एफ 1-1/वे.आ.प्र./९९, दि० 12 अक्टू ९९ में दि० निर्देशानुसार उक्त ज्ञापन दि० 19.4.९९ की कंडिका-3 में संशोधन अनुसार दि० 19.4.९९ से ही प्रभावशील माना जाने के फलस्वरूप श्री - - - - को दि० 19.4.९९ से क्मोन्नति का लाभ निम्नानुसार दिया जाता है :-

दिनांक	वर्तमान वेतनमान	क्मोन्नत वेतनमान
19.4.९९	4000-100-6000	4500-125-7000
25-11-९९	6179-00	6250-00
25-11-2000	6179-00	6375-00
	6179-00	6500-00

साक्ष्य अधिकारी

गहरी- कलेक्टर राजगढ़ (म. ड.)

प्रो.प्रो/ 108 /बा/स्था0/2000 राजगढ़ दिनांक 23/4/2001

प्रतिलिपि:-

1. प्रो अधिकारी वित्त-शाखा, कलेक्ट्रेट राजगढ़ का ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला कोषालय अधिकारी, राजगढ़ का ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित श्री स.एन.शर्मा, - - - - पद कार्यान्वयन-ग्रेड-11 [उकाड़े] का ओर सूचनार्थ।

साक्ष्य:

अनुभाष अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (कक्ष 4)

साक्ष्य
गहरी- कलेक्टर राजगढ़ (म. ड.)

✓ 40/2

:: आदेशिय कोमटर, जिला राजगढ़ : व्यावहारिक : म.प्र. ::

:: आदेश ::

राजगढ़, दिनांक -2-2000

प्रति,

/अधी./स्थापना/2000 सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग : वेतन आयोग प्रकीर्ण : मंत्रालय, भोपाल के दायन क्रमांक एफ 1-1/वे.आ.प्र./99, दिनांक 19-4-99 में दिये निर्देशानुसार श्री सी.पी. सक्सेना, मेवापाल तहसील व्यावहारिक मेवापाल के पद पर दिनांक 28-8-85 से कार्यरत हैं इन्हें दिनांक 28-8-97 को मेवापाल के पद पर 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के ^{एव} उक्त दायन की कण्डिका 2(ग) अनुसार उपयुक्त पाये जाने के कारण इन्हें प्रमोन्नति की वाशता आती है।

2-1 सचिव, म.प्र. शासन, विस्तार विभाग, मंत्रालय भोपाल के दायन क्रमांक 2159/659/99/सी/वार, दिनांक 25-11-99 अनुसार म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के नियम -7 [पौ][न] के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये व्यक्तित्व वेतन को मूल वेतन का भाग माना गया है।

3- सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग [वे.आ.प्र.] मंत्रालय, भोपाल के दायन क्रमांक एफ 1-1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 12 अक्टूबर 99 में दिये निर्देशानुसार उक्त दायन दिनांक 19-4-99 की कण्डिका-3 में स्वीकृत अनुसार दिनांक 19-4-99 से ही प्रभावशील माना जाने के कारण श्री सक्सेना को दिनांक 19-4-99 प्रमोन्नति का लाभ निम्नानुसार दिया जाता है :-

दिनांक	वर्तमान वेतनमान	प्रमोन्नत वेतनमान
19-4-99	6000 + 179	6250/-

अनुभाष अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजगढ़ विभाग (कक्षा 4 ख)

ज.स. कोमटर :
कोमटर,
जिला राजगढ़ : म.प्र. :
निरन्तर. 2/

11 2 11

150

3

पं. प्रा. 28100 /अ.प्र. /स्था. /2000, राजगढ़, दिनांक 24/2/2000

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रभारी अधिकारी, विल्लु ग्रामा, को. राजगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि, इस सेवा अधि का शरिफ सचिव संचालक, कोष, सेवा एवं पेंशन, भोपाल से अनुमोदन उपरान्त आकर प्रेषित जाय ।
- 2- जिला कोषागार अधिकारी, राजगढ़ की ओर सूचनाय ।
- 3- संबंधित की सी.पी. तल्लेना, सेवा निवृत्त, मेवापाल तहसील कार्यालय द्वारा जिला राजगढ़ की ओर सूचनाय ।

को. गढ़,
जिला राजगढ़ म.प्र.

अनुभाष अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सचिव विभाग (क. 4)